

कि यह तो आपको मानना ही पड़ेगा कि हिन्दी राजभाषा है, और जब ऐसा है तो सब काम हिन्दी में होना चाहिए। लेकिन उसको लागू करने में ऐसी हिचकिचाहट होती है जैसे वह विदेशी भाषा हो। इसको संविधान में माना है लेकिन फिर भी हिन्दी को लागू करने में सन्देह मालूम पड़ता है।

अंग्रेजी ज्यादा देर तक बनाये रखने की बात करते हैं। जितने भी आदमी बोलते हैं उन्होंने हिन्दी के लिये कहा है। पंडित जी ने यह बात बिलकुल ठीक ही कही थी कि जो गरीबों का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं वे तो सारे हिन्दी का समर्थन करते हैं क्योंकि हिन्दी भाषी लोग इस देश में ८० या ८५ फीसदी हैं। अंग्रेजी बोलने वालों की तादाद इस देश में बहुत ही कम है। स्पष्ट रूप से हिन्दी बोलने वालों का इस देश में बहुमत है। इसलिए सरकार को जनतंत्रीय भावना और जनता की सरकार होने के नाते हिन्दी को सभी तरह से प्रोत्साहन देना चाहिये और उसके प्रसार में सरकार को कोई कंजूसी या संकीर्णता नहीं दिखानी चाहिये हिन्दी के लिए भी उतना ही पैसा खर्च हो...

श्री कानूनगो : हिन्दी के लिए कोई भी रूकावट नहीं है।

श्री प० ला० बारूपाल : मैं आशा करता हूँ कि मंत्री महोदय ने हिन्दी के अन्दर एकट और कानून दूसरी कानूनी किताबों का हिन्दी में अनुवाद करने का जो आश्वासन दिया है वह शीघ्र कार्यान्वित होगा और कानून और विधेयक भविष्य में हिन्दी में आयेंगे। मैं आशा करता हूँ कि हिन्दी में अनुवाद कराने में वे इस कम्पनी एकट को प्राथमिकता देंगे। मंत्री महोदय के इस आश्वासन पर मैं इस विधेयक को वापिस लेना चाहता हूँ।

कुछ मादनोय सबस्य : नहीं, नहीं।

Mr. Deputy Speaker: Has the hon. Member the leave of the House to withdraw the Bill?

Several Hon. Members: Yes.

The Bill was, by leave withdrawn.

15. 12 hrs.

CRIMINAL LAW AMENDMENT BILL

by Shrimati Lakshmikanthamma

Shrimati Lakshmikanthamma (Khammam): I beg to move:

"That the Bill further to amend the Indian Penal Code and Code of Criminal Procedure. 1898, be taken into consideration."

Mr. Deputy-Speaker, Sir, the law regarding obscene publications is contained in section 292 of the Indian Penal Code. According to this section, the possession, sale, hire, distribution, exhibition etc. of any obscene publication as also the import and export of and business in such publications is made punishable. Section 293 prescribes a more severe punishment when the recipient of such a publication is of an impressionable age. Although these provisions may be said to be adequate so far as they go, the fact remains that they do not go far enough.

I would like to say a word here about journalism. Journalism is supposed to be very sacred. Great writers used to write certain works and when they used to be asked to dedicate their works to kings, they used to refuse. We have an instance of Pothanna who translated Bhagvatam in Telugu where a king asked him to dedicate his works to him, but he refused. He went before the diety Saraswati saying, he will rather live in jungles starving rather than selling his works to such people.

Here, it is a sad state of affairs. Even for a paltry sum of a few rupees, people resort to write whatever others would like them to write. For the sake of black-mailing some people, they write certain obscene things of

[Shrimati Lakshmikanthamma]

which they ought to be ashamed of themselves and we are ashamed of such people. This kind of writings which in modern times became notorious as yellow journalism has invented many new forms of indecency. It is a matter of deep concern that yellow journalism has been growing unchecked and has been indulging very freely in scurrilous attacks against persons of status and standing with impunity. There are several motives behind these writings. If we just go into the reason why these people resort to such writings, we find the motive, firstly, is to create sensationalism. A few years back we had in Madras the famous editor called Lakshmikanthan who used to write all sorts of things against various persons. Just to create sensationalism, he used to write such things and the people, even rikshaw-walas, used to wait for the publication to come into the market and go about reading and all that. Of course, the times have changed. Now there is less and less aptitude on the part of the people to read such writings because they know the motive behind this. So, as I said, one motive is sensationalism.

Another motive is character assassination and the black-mail. People feel that they can make an easy living by resorting to this sort of writing. They go and threaten people that they will write such and such a thing on them and these people beg to them and pay them a few rupees. This is the way they make their living.

And lastly there is a sheer sadistic pleasure in this sort of writing. There are also some political motives. Out of jealousy or political enmity or rivalry, people go and approach journalists who own a paper like this, give them some money and ask them to write what they would like them to write. These writings are grossly indecent, obscene and are intended to blackmail persons. Generally, these writings often create the desired effect by lowering the prestige of some

high placed persons. If we are attacked, if they write something bad or good, we can be indifferent. As is stated in Gita, one should rise above praise or dispraise and one should have equanimity of mind in victory or defeat and so on. It is all right for politicians. But what about others? We are so much used to these things. But the other people who attach so much importance to these fellows would not like to be condemned or talked of low. They will be worst affected either psychologically or even sometimes it may lead to committing suicide, etc. Any amount of protection would not help them, nor any legal action can remedy these matters. These people who are attacked are afraid to go to a court of law because they feel that undue publicity is given to these indecent writings. Though they have the protection under the ordinary law to go to a court of law against such a publisher, still because they are afraid of undue publicity, they are reluctant to go to a court of law.

I also know of instances where women's education has suffered due to this yellow journalism. Certain Women's Education Councils in States have passed a resolution as to how yellow journalism has adversely affected women's education. There were also some time back—I do not have the cuttings from papers at present with me—letters to the editors where they said that Government should come forward and take steps against such persons who indulge in indecent and scurrilous writings. It is only now that more and more women are going to schools and colleges and get educated. The parents are now boldly coming forward to send their girls to schools and colleges. I know of an instance where a girl was admitted in a college and because of some political rivalry, somebody wrote something bad without any base at all and a loose bundle of it was sent for distribution. The

father of that girl got so much perturbed because of the social conditions that we live in in our country, that he got the girl to discontinue her education, and with great difficulty he could get her married.

When feelings are so bitterly roused, sometimes, even murders and suicides take place. I was saying a little while ago about Lakshmikantan, the editor of a paper in Madras. He was murdered and there was so much of sensation at that time. There are also innocent people who, when they get involved in these kinds of writings, sometimes commit suicide.

It is all right if such writings and counter-writings go on in our country; if they occur even in respect of the biggest men in the country, it is all right, but sometimes, even foreign dignitaries are involved in such scurrilous attacks in the press. Shrimati Renu Chakravarty had referred some time back to a paper in Bengal which had written such indecent things about some foreign dignitary; the hon. Prime Minister while referring to that in the course of his reply to the debate on the resolution regarding Chinese invasion said that it was all right as long as they attacked the people here, and one could put up with any amount of that kind of writing, but when foreign dignitaries were involved in such matters, then it was a matter which should be taken up seriously and effective steps should be taken to check that kind of thing. Such attacks if allowed to go on unchecked are likely to have an adverse impact on our country's relations with other countries.

There is at present no Central Act to effectively deal with such writings, after the repeal in 1957 of the Press (Objectionable Matter) Act, 1951. Therefore, in the interests of healthy journalism and also the sense of decency to be observed in our society, it is desirable that Parliament should undertake suitable legislation to combat this evil throughout the

country. If the growth of such writings is not curbed effectively, Government would be failing in their duty to protect the elementary rights of the citizens in a welfare State.

The present Bill, therefore, seeks to devise effective measures to combat the evils of obscenity, scurrility, gross indecency and blackmailing in writing. And it has been stated in the Statement of Objects and Reasons how effectively we can combat these evils by—

- (1) providing for the enhancement of the penalty under section 292 of the Indian Penal Code from three months to two years and also by providing for more deterrent punishment for a second or subsequent offence;
- (2) penalising printers, publishers, writers etc. of scurrilous matter which is grossly indecent or intended for blackmail;
- (3) penalising not only sale etc. of obscene objects but also sale etc. of scurrilous writings or writings which are grossly indecent or intended for blackmail, to young and unwary persons or to those of impressionable age;
- (4) enhancing the maximum term of imprisonment specified in section 293 I.P.C. from six months to three years;
- (5) penalising persons who indulge in talk which is scurrilous, grossly indecent or intended for blackmail;
- (6) demanding security for good behaviour from person disseminating defamatory matters; and
- (7) forfeiting to Government publications containing matters which are defamatory

[Shrimati Lakshmikanthamma]

within the meaning of section 499 I.P.C.

It is also proposed to make consequential amendments to the Code of Criminal Procedure and to repeal the corresponding laws in force in any of the States. This again is sought to be provided for by amending section 292 of the I.P.C. so as to prescribe enhanced punishment and also by providing for a still more severe punishment for a subsequent offence of the same kind. It is also proposed to insert a new section 292A which lays down in detail the punishment for writings which are grossly indecent, scurrilous or intended for blackmail. The necessary details regarding the offences have been elaborately set out in sub-sections (a) to (g), and there is also provision for enhanced punishment in the case of a subsequent offence. Explanations have also been added in order to make the intention of the section clear and precise.

Consequential amendments in section 293 of the I.P.C. also have been provided for. The relevant sections of the Code of Criminal Procedure bearing on the above sections of the I.P.C. have also been suitably amended, and the repeal of the State laws, if any, corresponding the present statute, has also been provided for.

In view of the necessity of undertaking such legislation, I have brought forward this Bill before the House for its consideration and acceptance. I hope that the provisions of the Bill will be found useful and effective in plugging the loopholes in the law relating to obscenity, scurrility, indecency, blackmail and similar defamatory writings that are slowly but surely developing in the so-called yellow press of the country.

So, I request the House to consider the Bill and pass it.

Mr. Deputy-Speaker: Motion moved:

"That the Bill further to amend the Indian Penal Code and the Code of Criminal Procedure, 1898, be taken into consideration."

Shri D. C. Sharma (Gurdaspur): I congratulate my sister Shrimati Lakshmikanthamma for having brought forward this Bill. I think that it is a very timely Bill. It is a Bill which not only deserves favourable consideration at the hands of Government but also calls for immediate implementation. It demands an amendment of the IPC in the shortest possible time. It wants that some of the evils which are creeping into our social organism and some of the defects which are corrupting our public life, and some of the malpractices which are becoming the bane of our Indian journalism should be removed and be done away with as early as possible.

I look at this whole Bill in the context of the growth of Indian journalism. Our Indian journalism has been a matter of pride for our country and a source of great gratification so far as my countrymen are concerned. It has had very glorious traditions. It has produced great missionaries of freedom, great campaigners for human dignity and great crusaders for human rights. The history of Indian journalism is one of the most glorious chapters of which any Indian can be proud.

There was a time when Indian newspapers used to be held up before the whole world as examples of clean writing, decent thinking, national ardour and social and political fervour. Of course, there were a few papers used to be a kind of dark spot on the fair face of Indian journalism, but they were not to be taken seriously, and their number was very insignificant and very small. They were not taken notice of by anybody and they were ignored and rightly ignored. But, unfortunately, the freedom that we have got has also meant freedom for the press of India. Of course, I would be the last person to curtail the freedom of the press in India.

15.30 hrs.

[DR. SAROJINI MAHISHI in the Chair]

You can understand what has happened in Pakistan where they have put some curbs on the press. The journalists there have gone on a token strike. They are trying to combat that attack on the freedom of the press. I think a thing like that can be done only under a fascist regime, under a totalitarian regime, and Pakistan is nothing but a specimen of political absolutism. But in a free country, we have different codes for journalists, different practices for newspapers, and I am glad that my country has very wholesome enactments for preserving the freedom and dignity of the press. Most of the Indian press conforms to those traditions.

I say this as a member of the Congress Party. I know we are very much under discussion in the Indian press. We also know that very often we have not come out very favourably from that discussion. We know that sometimes all kinds of criticisms are made about us. All the same, I would be the last person to say that since the Congress Party is ruling the country, ruling the State, Congressmen should not be criticised or that the Congress Government should not be criticised. No. Criticism is something which promotes, helps, democracy. But criticism should also be healthy and wholesome. It should be motivated by the best possible considerations. It should subserve the purpose of democratic functions in this country. But unfortunately, we have started copying some countries of only the west and also of the east—I do not say that the west has specialised in it. We have started emulating some countries in this world where a particular kind of journalism is practised on a large scale and that journalism is called yellow journalism. I do not know why it is called yellow journalism.

Shrimati Yashoda Reddy (Kurnool): Jaundice.

Shri D. C. Sharma: Gold is yellow and I think gold has got a very high price. So I do not know why it is called yellow journalism. Anyhow, I do not want to quarrel with the name which has been given. But I would call it gutter press journalism. It is journalism of the drainage, journalism which in public life is something which can be described as equivalent to those things which we do not generally mention in polite society.

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Hajarnavis): Why mention it here?

Shri D. C. Sharma: This kind of journalism has come into being. Fortunately, I do not see much of it at the national level, though even at the national level, we have some specimens of it. But unfortunately, we have this kind of journalism more in evidence at the state level, and still more unfortunately, we have its specimens working more at the district level. Therefore, I think this disease is common to all the levels of journalism, though it goes from top to bottom in a kind of arithmetical progression—it increases as the level declines. That is what is happening. I feel that something should be done to check it.

My sister has referred to three things—obscenity, scurrilousness and indecency. We are all familiar with these. We all know what is obscenity though it is very difficult to define it. I think anyone can know what is scurrility even though he be illiterate. So far as the third thing is concerned, I think that is also well known. Who does not know what blackmail is. But the difficulty arises when you have to define these terms in legal phraseology. But I think it would not be difficult for anybody to do so. After all, we can give approximate definitions of these things. For instance, it has been said that nobody has so far been able to define aggression. But we all know what it is. It is not necessary to define a thing in order to deal with it. The most essential thing

[Shri D. C. Sharma]

is that you should know what it is and how it affects us.

We all know how these three things affect us—indecent, obscenity and blackmail. Whatever you may say, there are two types of persons who are the victims of these three vices. Who are they? The politician and the prosperous man. These two types of persons are generally unfortunate persons because they are very often subjected to this three-pronged attack. What happens when we fight our elections? What happens when our Ministers go about, when some official is doing his duty in a way which is not to the taste of somebody? What happens to some of these businessmen? All these types of persons are subjected to these three things. But the politician is the victim of this kind of attack much more than anybody else. Therefore, in sheer self-defence, the Minister, who is the custodian of the good name of this House, the good name of this country and the good name of the politicians of this country—whether they belong to this party or that—should stand up and say 'I congratulate Shrimati Lakshmikanthamma on having drawn my attention to this very wholesome measure'. He should say that in sheer self-defence. But sometimes self-defence is overridden by laziness. But Ministers whether in the Centre or in the States tend to acquire the occupational disease of becoming mentally lazy. They want that things should take care of themselves. They believe in the dictum that sufficient unto the day is the evil thereof. They want that things should go on as they are. This may be the attitude of this Minister also. He may say they would consider it, or give some kind of assurance which will never be fulfilled.

As I said, this is a political disease, an educational malady, a psychological ailment. It is a disease born of cupidity and jealousy and aims at sensationalism. Whatever its origin,

we have to stop it. The hon. Member does not want anything radical or revolutionary. She only wants the punishment under section 292 to be raised from three months to two years. If a man persists in that, give him more deterrent punishment. Penalise not only the editor, but also the printers, publishers and the writer. She says you should not allow such writings to fall into the hands of young persons of an impressionable age. Let not their minds be twisted, their psychology perverted, their character depraved. There is no harm in raising the punishment. In fact, we had another Bill today in which it is sought to raise the punishment.

It is not only the written word that is dangerous, but also the spoken word. Sometimes, the spoken word is, in fact, much more insidious than the words that appear in print. I think we should do something with regard to that.

She wants that we should take security from these wrongdoers, but I think it is a simple remedy for a desperate disease, a homoeopathic remedy when surgical operation is called for. This good lady has been very gentle and kind in this matter and I think that, given the situation, we must do it.

Finally, we are not doing this to protect politicians, businessmen or officers. We are doing it to protect the fair name of Indian journalism, of which every Indian citizen is proud.

श्री राम सेवक यादव (बाराबंकी) :
सभानेत्री जी, मैं प्रस्तुत विधेयक का विरोध करता हूँ। इस विधेयक का एक महिला सदस्या की ओर से लाया जाना कुछ समझ में नहीं आता, स्त्रियों की ओर से यह सक्ती करना मेरी समझ में नहीं आता क्योंकि वे तो दुःख को ज्यादा समझती हैं, कारण कि हमारे देश में महिलाओं को बहुत सताया गया है।

जो इस विधेयक का उद्देश्य है वह जनतंत्र की भावना के विरुद्ध है क्योंकि इसके उद्देश्य में यह शुरू में ही दिया गया है ।

"It is a matter of deep concern that the yellow press in this country has been growing unchecked and has been indulging very freely in scurrilous attacks against persons of stautus, standing and influence."

जनतंत्र में लिखने, पढ़ने और बोलने की आजादी होनी चाहिए । बोलने और लिखने की आजादी जनतंत्र का सब से बड़ा अधिकार है ।

एक माननीय सदस्य : कुछ लोगों को गाली देने की आदत है

श्री राम सेवक यादव : गाली देने की आदत आप कानून से नहीं रोक सकते । गाली न दी जाए इसके लिए शिक्षा की जरूरत है, उसके लिए समाज में आप उचित व्यवस्था पैदा करें । आप उन कारणों को ढूँढ़ें कि लोग गाली क्यों देते हैं, अगर आप उसकी जड़ में जाएंगे तो उसका इलाज कर सकेंगे और तब शायद उस उद्देश्य की पूर्ति हो सकेगी जो कि माननीय सदस्य ने इस विधेयक में रखा है । मैं माननीया सदस्य से पूछना चाहूंगा कि जुर्म और पाप को रोकने की कोशिश आदि काल से कानून द्वारा की जा रही है, लेकिन इसका नतीजा क्या हुआ है । क्या इस कार्रवाई से पाप या जुर्म रुक गया ? तो सजा की व्यवस्था कर देने से या जो व्यवस्था पहले से है उसको बढ़ा देने से या सजा की अवधि बढ़ा देने से इसका इलाज नहीं होगा । माननीया सदस्य इसी प्रकार इस दोष को दूर करने का उपाय करना चाहती हैं ।

एक माननीय सदस्य : अंग्रेजी में कहिए, वह नहीं समझती ।

श्री राम सेवक यादव : मैं अंग्रेजी में कह नहीं पाऊंगा, इसमें मैं अपनी मजबूरी स्वीकार करता हूँ ।

श्रीमती लक्ष्मीकान्तम्मा : अंग्रेजी और हिन्दी में मिस्र करके बोलिए ।

श्री राम सेवक यादव : तो माननीया सदस्य ने सजा का विस्तार किया है, कुछ और चीजों को सजा के दायरे में शामिल करने का प्रयास किया है, और जो सजा कम है उसको बढ़ाने की तजवीज की है । यही दो उद्देश्य हैं इस विधेयक के पहले से ही कानून में क्रिमिनल ला अमेन्डमेंट एक्ट के अर्न्तगत यह व्यवस्था है कि जो कोई गलत चीजें छापे या ब्लैकमेल करेगा उस पर मुकदमा चलेगा, और उसको तीन महीने की सजा या सजा और जुरमाना दोनों हो सकेंगे । माननीय सदस्य ने इस तीन महीने के बजाय दो साल कर दिया है या ६ महीने कर दिया । इसके अतिरिक्त और इसमें कुछ नहीं है ।

श्रीमती लक्ष्मी कान्तम्मा : इससे ज्यादा है, आपने सुना नहीं ।

श्री राम सेवक यादव : मैं जानना चाहूंगा कि जो मौजूदा कानून है उसके अर्न्तगत कितने मुकदमे चले, कितने मामले आए और क्या कार्रवाई हुई । केवल कानून को बढ़ा देना काफी नहीं है । उस कानून पर कितना अमल हुआ और उसमें क्या क्यर्रवाई हुई दर असल यह चीज महत्व की है । अगर माननीया सदस्य आंकड़े इकट्ठा करें और मंत्री महोदय आंकड़े दें तो पता चलेगा कि इस कानून का कोई उद्देश्य भी है या नहीं । इसलिए मैं चाहूंगा कि जो यह विधेयक माननीया सदस्य ने पेश किया है वह पास न होना चाहिये । मुझे डर है इससे बोलने और लिखने की आजादी पर हमला होगा ।

आप कहते हैं कि गालियां देने की आजादी । मैं गालियों का कायल नहीं और न मैं उसे पसन्द करता हूँ , लेकिन यह तो बतायें कि गाली होती क्या चीज है । इस में उसकी डेफीनीशन नहीं दी है । इसलिए हम लोग जो कहेंगे उसको गाली कहा जा सकता है ।

[श्री राम सेवक यादव]

इसके अलावा जो लोग राजनीतिक दलों में नहीं और जिनको लिखने पढ़ने का शौक है, और अगर व समाज में चलने वाली राजनीति में दोष देखते हैं और उस पर अपने विचार प्रकट करते हैं और लिखते हैं तो वे इस कानून की जद में आ सकते हैं। अभी तक तो यह जद तीन महीने की थी लेकिन अब तो इसको बढ़ाया जा रहा है उनको दो साल से ज्यादा की सजा हो सकती है। तो मेरा निवेदन है कि इससे जनतंत्र को नुकसान पहुंचता है और पढ़ने, लिखने और बोलने की आजादी छिन जाएगी। मैं तो इस हद तक जनतन्त्र में जाना चाहूंगा कि अगर कोई गाली भी दे तो सिर्फ उस पर एक रोक होनी चाहिये। अलबत्ता मैं यह चीज मानता हूं कि किसी भी आदमी को हाथ उठाने की आजादी नहीं होनी चाहिये, मारने पीटने की आजादी नहीं होनी चाहिये लेकिन हर एक को लिखने और बोलने की पूरी आजादी होनी चाहिये . . .

एक माननीय सदस्य : बोलने की बात नहीं है बल्कि सलीके से बोलने की बात है।

श्री राम सेवक यादव : माननीय सदस्य सलीके की बात कह रही हैं। अब हो सकता है कि कोई बात उनकी नजर में सलीके की न हो लेकिन सभापति महोदया, आपकी नजर में वह सलीके की बात हो, तो इसको तय कौन करेगा कि यह सलीके की बात है कि नहीं? अब उस सलीके की बात को लेकर इतना जबरदस्त कानून बना करके लोगों को सजा देना और उन को जेल में डलवाना और उन पर मुकद्दमा चलाना, मैं समझता हूं कि यह जनतन्त्र के लिये बहुत घातक है। अब क्या बुरा है और क्या बुरा नहीं और किसे गाली कहते हैं और किसे नहीं, इसका फैसला कौन करेगा? इस के लिये मैं आपको मिसाल देकर बतलाऊं कि जब हम लोग और

खास तौर से सोशलिस्ट पार्टी के लोग सरकार की नुक्ताचीनी करते हैं और यह कहते थे कि इस जनतन्त्र में और इस घोर गरीब देश में जहां कि प्रति व्यक्ति की औसत आमदनी ३ या ४ आने प्रतिदिन भी नहीं पड़ती है, ऐसे देश में प्रधान मंत्री के ऊपर २५००० रुपया दैनिक खर्च हो, यह एक बहुत बड़ा अन्याय है, पाप है और पाजीपन है, तो ऐसे शब्दों को मानीय सदस्य कह देंगे कि यह गाली है लेकिन यह गाली नहीं है अपितु वस्तु स्थिति का वर्णन है। इसलिये ऐसा बड़ा अधिकार देना जनतन्त्र के लिये बहुत हानिकारक होगा और मैं माननीय सदस्य से कहना चाहूंगा कि उनको इस तरह का विधेयक नहीं जाना चाहिये था।

जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि स्त्रियां इस देश में बहुत सताई जाती हैं तो यह जो विधेयक प्रस्तुत किया गया है इसमें उनके लिये कुछ नहीं है। जहां तक इस विधेयक के कोई बहुत बड़े मकसद का सवाल है, वह कोई मकसद नहीं है। इस विधेयक में केवल सजा बढ़ा देने और उसकी परिधि बढ़ा देने की बात कही गई है। इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं है। अन्त में मैं फिर यही कहूंगा कि विधेयक का उद्देश्य जनतन्त्र विरोधी होने के सिवाय और कुछ नहीं है। अगर वर्तमान रूप में जैसा कि विधेयक द्वारा चाहा गया है कानून पास हो जाता है तो फिर इसमें बहुत से लोगों को जो कि सत्तारूढ़ दल के विपरीत राजनैतिक विचारधारा रखते हैं उनको इसका शिकार होना पड़ेगा।

एक बात इसमें और कही गई है कि कुछ विदेशी लोग, फौरन डिगनेट्रीज जो कि इस देश में आते हैं उनके विरुद्ध प्रेस आदि में अपमानजनक बातें लिखी और छापी जाती हैं और चूंकि वे इसके विरुद्ध अदालत में नहीं जाना चाहते हैं इसलिये ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये कि उनकी मानहानि न होने पाये। अब इसके लिये चूंकि वे अदालत में जाना

नहीं चाहते हैं इसलिये ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये कि उनका बचाव हो सके, सभापति महोदया, मैं निवेदन करूंगा कि चाहें यह देश हो या कोई दूसरा देश हो, जहां भी जनतन्त्र है, राजनीति में रहने वाले लोग ऐसे पदों पर आते हैं। आज फौरेन डिगनेटरीज कौन होते हैं? यह वही हमारे आपके जैसे राजनीति में काम करने वाले होते हैं? चाहें हिन्दुस्तान के हों या किसी दूसरे देश के हों। जब हम और आप राजनीति के अन्तर्गत आते हैं तो हमारे दिल और छातियां चौड़ी होनी चाहिये। अगर हम दूसरों की नुक्ताचीनी करें तो दूसरों द्वारा अपनी नुक्ताचीनी को मुनें और सहें भी। यह नहीं कि हम तो दूसरों की नुक्ताचीनी कर लें और जब हमारे राजनीतिक विपक्षी हमारी नुक्ताचीनी करें, हमें क्रिटिसाइज करें तो हम उसे बर्दाश्त न कर पायें और अगर हम सत्तारूढ़ दल के हों तो हमारी यह इच्छा हो कि हमारे पास कोई कानूनी हथियार ऐसा होना चाहिये, हमारे तरकस में कोई ऐसा बढ़िया तीर होना चाहिये जिससे कि हम विरोधियों की आवाज और उनकी क्रिटिसिज्म को दबा सकें। इसलिये मैं समझता हूं कि इस विधेयक को पास कराने के लिये जो तर्क सभापति महोदया ने दिये थे वे बिल्कुल धोथे हैं। मेरा खयाल है कि यहां पर मंत्री जी मेरा साथ देंगे और प्रस्ताव का विरोध करेंगे कि और यह बिल गिर जायगा। इस बिल के लिये मैं मंत्री जी का साथ दूंगा और इसका विरोध करूंगा ताकि यह विधेयक गिर जाय। अगर स्वयं माननीय सदस्या इसको वापिस ले लें तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री शिव नारायण (बांसी) : माननीय चयरमैन महोदया, मैं इस बिल का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। अपनी भारतीय संस्कृति की दुहाई देकर कहता हूं कि भारत का मस्तक उसके लिये सदैव ऊंचा रहा है लेकिन आज अखबारों में हमारी बहनों पर,

हमारी महिला समाज पर और अन्य भाइयों पर जो छोटाकशी होती है और जिस अश्लील भाषा का प्रयोग किया जाता है उसको पढ़ कर और सुन कर मेरा मस्तक मारे शर्म के झुक जाता है। मिनिस्ट्रों और गवर्नमेंट की कैसी छीछालेदर की जाती है उसको आप छोड़ दीजिये लेकिन छोटे छोटे अखबार महिलाओं पर, महिला समाज पर और अन्य संभ्रांत विदेशी अतिथियों के लिये जिस अश्लील भाषा का प्रयोग करते हैं, ऐसी ऐसी गालियां बकते हैं जिनको कि पढ़ कर मारे शर्म के सिर नीचा हो जाता है।

यहीं दिल्ली में एक श्रीबजरवर अखबार निकलता है वह ऐसी अश्लील कहानी लिख रहा है कि उसको पढ़ कर सिर नीचे हो जाता है। मुझे तो दुःख होता है कि ऐसे अखबारों और ऐसे ऐसे एडीटर्स को गवर्नमेंट अखबार निकालने की परमिशन किस तरह से दे देती है और किस तरह से उनको यह गन्द उछालने देती है। इसलिए यह जो कानून पास करने की मांग की जा रही है वह बिल्कुल समयोचित है कि ताकि आज जो गन्दगी उछल रही है और अश्लील और अपमानजनक बातें छपी रही हैं वह बन्द हों।

श्री यादव जी ने कहा कि इस तरह का कानून पास करके जनतन्त्र का गला घोंटा जा रहा है और सरकार की नुक्ताचीनी पर ब्रेक लगाया जा रहा है तो मेरा कहना है कि उनका ऐसा खयाल सही नहीं है। यह किसने कह दिया कि तीन आने वाली बात का गवर्नमेंट विरोध करती है इसलिए वह चाहती है कि इस तरह की चीजें पबलिश न हों? यहां पर डा० लोहिया ने तीन आने की औसत आमदनी की बात कही, हालांकि सरकार उससे सहमत नहीं थी, तो भी उन्होंने जिस तरह से सरकार की आलोचना की, वह सब पूरी नुक्ताचीनी ज्यों की त्यों छपी। उसके छपने पर सरकार ने किसी तरह का प्रतिबन्ध नहीं लगाया। आप तीन आने छोड़ कर एक आना कहें,

[श्री शिव नारायण]

कोई इसके लिए आपको रोकता नहीं है और आप जो कहेंगे वह पूरा छपेगा भी। सरकार उसके लिए कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाती है। अगर लोहिया साहब या उनके और कोई साथी प्राइम मिनिस्टर साहब पर अटैक करते हैं उनकी नुकताचीनी करते हैं तो वह पूरी छापी जाती है, उसको यहां व और हम सब लोग बैठ कर सुनते हैं। हम उस पर कोई एतराज नहीं करते हैं। लेकिन यह सब एक मर्यादा के अन्दर रह कर करना होता है। अब यह नहीं कि गम्भीर और जाती दोषारोपण किये जायें कि अमुक ने यह किया और अमुक ने यह किया और जिसका कोई प्रूफ न हो तो यह चीज अनुचित है और अगर इस पर कोई प्रतिबन्ध लगाया जाता है तो वह उचित ही लगाया जाता है। अब यह तो इस गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स की शराफत है कि हर तरह के जाती अटैक वह लोग चुपचाप सुनते हैं, सब कुछ छपता है और वे उनके विरुद्ध मान हानि का दावा नहीं करते हैं। माननीय सदस्यों को याद होगा कि बम्बई के बिल्टन अखबार ने इसी तरह से एक आपत्तिजनक सामग्री छापी थी जिस पर उसके विरुद्ध कंटेंटमेंट ऑफ कोर्ट चला और उसको माफ़ी मांगनी पड़ी थी। उन्होंने जुर्म किया था जिसके लिए उन्हें क्षमा मांगनी पड़ी।

मुझे यह बड़ अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे देश के अखबार अपना दायित्व ठीक प्रकार से नहीं निभा रहे हैं। मैं जानता हूं कि कुछ अखबारों में वैस्टड इंटरैस्ट्स काम कर रहे हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता लेकिन मैं जानता हूं कि हमारे कुछ दोस्त जो कि बड़े ठाटबाट के साथ बैठे हैं उनकी जबों में फौरनस का पैसा घूम रहा है और वे पैसे के लोभ में आकर और स्वार्थ के वश हो कर देशद्रोह का काम करते हैं। यह अखबार वाले जो कि किसी भी प्रजातन्त्र के आधार होते हैं, आज अपने कर्तव्य का पालन करने में कोताही कर रहे हैं। मेरी

बड़े बड़े पत्रकारों से बात हुई है और प्राइवेट में उन्होंने मेरी इस बात को माना भी है कि कुछ अखबार अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे हैं और ऐसे दोषी अखबारों को सही रास्ते पर लाने और देशद्रोहात्मक कार्यवाहियों पर रोक लगाने के लिए जो यह कानून लाने की मांग की जा रही है वह ठीक ही है और मेरी बहन ने यह बिल लाकर एक सही राह दिखाई है। मैं समझता हूं कि यह कानून उनको सही रास्ते पर लायेगा, उनको तमीज सिखायेगा और उनको अनुशासन सिखायेगा। भारत जो सदा से अनुशासन का पालन करता रहा है, मान मर्यादा का पालन करता रहा है, जहां हमने सदा अपनी बहनों की इज्जत की है, श्री राम के जमाने से लेकर आज तक कभी भी इस देश में स्त्रियों का निरादर नहीं हुआ है, हमेशा उनका सम्मान किया है, आज जब मैं इन छोटे छोटे अखबारों में उनके प्रति इस तरह की अश्लील सामग्री और खबरें छपते देखता हूं तो मुझे बड़ी लज्जा आती है कि आखिर यह देश जा कहां रहा है? हमारे यादव जी जिन्होंने कहा कि इस बिल में केवल समय बढ़ा दिया गया है और इसका कुछ उद्देश्य नहीं है, उन्होंने इसको समझा नहीं है। मुझे दुःख है कि वे इतने पढ़े लिखे आदमी हैं, वकील हैं लेकिन सच है आदमी अपनी गरज के आगे दूसरी चीज नहीं देख सकता। ठीक ही तो यह कहा गया है :—

“लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूर
चींटी ले शक्कर चली, हाथी के सिर धूर”

वे हमसे चश्मा मांग लेते तो मैं उनको पेश कर देता और उससे देकर कर पढ़ते और समझ लेते। अरे भाई साहब यह एक ब्रेक है, यह कानून नहीं है। यह सोसाइटी को ठीक ढंग से चलाने के लिए ब्रेक का काम देगा। इस देश में हमने एक प्रजातांत्रिक ढांचा स्थापित किया है, डेमोक्रेसी की हम बर्क कर रहे हैं, उसमें हमारा विश्वास है और यह डेमोक्रेसी की बदौलत ही आप लोग यहां बैठे हुए हैं

और हमारे सिर पर इस तरह की कीचड़ उछाल रहे हैं। आप एक अपोजीशन ग्रुप में होने के नाते सरकार की नुकताचीनी कीजिये, इसका आपको पूरा अधिकार है और आप यहां रोज करते भी हैं लेकिन इसका यह तो मतलब नहीं हो जाता कि आप सलीके की सीमा को भंग कर दे, अश्लीलता की हद पर उतर आयें और इस तरह की गन्दगी उछालें जो कि किसी दृष्टि से भी बांछनीय नहीं हो सकती है। इसलिए आज यह बहुत जरूरी हो गया है कि हम देश में मर्यादा और अनुशासन के स्तर को न गिरने दें और इसी हेतु माननीय सदस्या यह बिल लाई हैं और यह स्वागत योग्य है।

मेरा निवेदन है कि जिस तरह से हम यह सर्टिफिकेट लिखा करते हैं कि दे बिथर ए गुड ऐंड मोरेल करेक्टर आज देश में वास्तव में ऐसे सुचरित्र, अनुशासित और सुयोग्य नागरिकों की जरूरत है। हम चाहते हैं कि इस देश के अन्दर हमारे पत्रकार लोग भी सुयोग्य हों, अनुशासित हों और सुसंस्कृत हों ताकि विदेशों में हमारा नाम हो और पत्रकारों का भी नाम हो। इस तरह से पत्रकारों का भी स्टैंडर्ड बढ़ेगा और संसार यह समझेगा कि इस देश के लोग सभ्य हैं, सुशिक्षित और सुसंस्कृत व विद्वान हैं। भारत सदा से संसार का गुरु रहा है, कल था, आज है और आगे भी रहने वाला है। भारत आज भी प्रगति पथ पर अग्रसर है। यह देश का सौभाग्य है कि इस देश की बागडोर सुयोग्य और पूज्य नेता श्री जवाहरलाल नेहरू के हाथों में है जिन्होंने कि संसार को पंचशील का नारा दिया। आज वे संसार को पंचशील का प्रकाश दे रहे हैं, अब यह दूसरी बात है कि कोई गलती कर जाये और अपने कर्तव्य से च्युत हो जाये। लेकिन हमारा आदर्श ऊंचा है। भगवान बुद्ध के समय से लेकर आज तक भारत ने सत्य, अहिंसा का पूर्ण-रूपेण पालन किया है और वह संसार को सत्य अहिंसा का पाठ पढ़ा रहा है। यह बिल उसके लिए अवसर प्रदान कर रहा है।

श्री यादव जी ने दो अल्फाज कहे और खिसक गये। यह नमूना अपोजीशन करने वालों का है। गालियां दीं और चलते बने। जवाब सुनने को वे तैयार नहीं हैं। लेकिन हम उनकी बात सुनने को तैयार हैं, हम बर्दाश्त करते हैं।

अभी कुछ दिन पहले की बात है कि एक वकील साहब से दो, तीन नौजवान लड़के बहस कर रहे थे। मैं पहुंच गया मैंने कहा लड़के ठीक ही तो कहते हैं कि चूँकि हम गवर्नमेंट चलाते हैं इसलिए जिम्मेदारी और जवाबदेही हमारी है। जब हिन्दुस्तान का शासन चलाने की जिम्मेदारी हमने ओढ़ी है तो उनकी गालियां भी हम ही सुनेंगे। उनकी क्रिटिसिज्म भी हम ही सुनेंगे और उनकी मालायें भी हम ही पहनेंगे। मैं ने शान्ति से उनकी बातों को सुना और फिर जब उन्हें ठीक से समझाया तो वे नौजवान शान्त व सन्तुष्ट हो गये। यह कांग्रेस में ही सहन शक्ति है कि वह और उसके नेता सब कुछ उलटी सीधी सुनते हैं, धैर्यपूर्वक सुनते हैं और फिर लोगों को शान्ति से समझाने और कनविस करने का प्रयत्न करते हैं। यह नहीं कि हमारे यादव जी ने दो गालियां दीं और बगैर जवाब सुने खिसक गये। सरकार और कांग्रेस वाले इस तरह की गैर जिम्मेवारी से काम नहीं करते हैं। यह बिल इसी लिए लाया जा रहा है कि देश में मर्यादा कायम रहे, स्तर गिरने न पाये और अनुशासन का भाव बना रहे। इस बिल द्वारा यही सन्देश हमको मिल रहा है कि हम सुसंस्कृत बनें, सभ्य रहें, स्तर हमारा गिरने न पाये और अनुशासन का हम सदैव पाला करते रहें। यह सन्देश इस बिल के अन्दर है। यह सन्देश नहीं है कि गाली दी और खिसक गये। मैं अन्त में फिर इस बिल का समर्थन करता हूं।

यह सन्देश कांग्रेस वाला ही दे सकता है। कांग्रेस के सदस्यों की ओर से ऐसा नहीं किया जाता है कि अपनी बात कही और चले

[श्री शिव नारायण]

गाए, दो लफ्ज़ कहे और चल दिए। इस समय सारा अपोजीशन गायब है।

16 hrs.

मैं चाहता हूँ कि अननैसेसरी और अनगल बातें छापने वाले अखबारों को सज़ा से सज़ा सज़ा दी जाये, उनकी सज़ा ३ वर्ष नहीं बल्कि ४ वर्ष कर दी जाये। गवर्नमेंट उनकी डी० आइ० आर० के मातहत बन्द करे। गवर्नमेंट से मेरी यह सिफ़ारिश है।

इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ। मैं आपका अनुग्रहीत हूँ कि आपने मुझ बोलने का अवसर दिया।

Shri Himatsingka (Godda): Madam Chairman I/wholeheartedly support this Bill that has been introduced in this House and it is a very wholesome measure which should receive the support of the whole House. I was surprised to note the opposition /put forward by the hon. Member Shri Yadav. He said that only the punishment has been enhanced and that it is not necessary; he added that this might be misused for the purpose of suppressing honest criticism of the Government or the Ministers or the Government measures like the bringing in of the question of income of persons and so on. I wonder how he can make that suggestion or insinuation, because the amendments that have been proposed are so clear and so explicit that there is no room for any doubt as to what the intentions of the Mover of the Bill are. As a matter of fact, she wants that indecent and scurrilous writings intended for blackmail or for humiliating persons unnecessarily of wrongly and otherwise for the purpose of blackmail should be curbed. There is no reason why a Bill like this should not be supported.

I would suggest one thing more in this connection. The question was raised as to how many prosecutions have been started in respect of wri-

tings of this nature. At the present moment the law is that the person who is defamed or is attacked must himself go to court to file a complaint. I feel that if the law is going to be amended, there should be some provision whereby some representative of the person who is abused or defamed or attacked should also be entitled to go to court on his behalf. Take, for instance, a very big or busy person who is attacked very harshly or unjustifiably in a manner which cannot be justified under any circumstances. Unless he goes and files a complaint himself, he cannot move the court. It is impossible for him to go to court and attend every time the case is called up. Therefore, the law should provide that anybody on his behalf or anybody interested in that person may also file a complaint and take proceedings in court.

The provision that has been suggested, namely, "grossly indecent or is scurrilous or intended for blackmail" should be included, and the persons concerned roped in. As a matter of fact, nowadays, if you open your dak, or even if you are not a subscriber of papers, the papers come in every week or almost every day which contains such writings which no decent person would like to read. Still, they go on pouring in with your dak every day without being paid for, because they want that such writings should spread. Therefore, I feel that this Bill should receive the support of the House. I hope Government will also support this Bill. If they want that some additional provisions should be introduced, they can make some suggestions, or they can refer it to the Select Committee. But it should certainly find a place in our statute-book, so that scurrilous writings which are finding place in every newspaper of that type are checked. I wholeheartedly support this Bill and I hope the whole House would support the same.

श्री कृ० कृ० वर्मा (सुल्तानपुर) : माननीय चेयरमैन महोदया, जो बिल माननीय सदस्या, श्रीमती लक्ष्मीकान्तम्मा, ने प्रस्तुत किया है, मैं उस का स्वागत करता हूँ ।

सोशलिस्ट पार्टी के माननीय सदस्य ने अभी इस बिल के विरोध में कुछ एतराज किये । उन की यह शंका है कि इस बिल की मंशा यह है कि हमारे देश के समाचारपत्रों की स्वतंत्रता पर बंधन लगाया जाये, समाचार और वाक्यात छापने की उन की स्वतंत्रता में कमी की जाये और हमारे राष्ट्र में हमारे देशवासियों के मौलिक अधिकारों में भी कमी की जाये । इस आधार पर उनोंने इस बिल का विरोध किया और इस पर उन को सख्त एतराज है ।

उन का यह भी कहना है कि पहले अपराध के लिए जो सजा रखी गई थी, इस बिल के द्वारा उस को जो थोड़ा ज्यादा किया गया है और सख्ती बरतने की तरफ कदम उठाया गया है, वह एक महिला के लिए शोभनीय नहीं है, जिन का हृदय नरम होता है । उन्होंने पूछा कि माननीय सदस्या ने कैसे यह कदम उठाया । लेकिन इस के साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि महिलाओं को परेशान किया गया है और उन का दिल दुखी हुआ है । मैं समझता हूँ कि ये दोनों बातें परस्पर-विरोधी हैं ।

अगर वाकई में इतनी आजादी ली गई है, तो मैं कहूंगा कि जिस को माननीय सदस्य मौलिक अधिकार कहते हैं, उस को मेरी समझ में लाइसेन्स समझना चाहिए, जिस की आज्ञा, इजाजत, हमारा संविधान या और कोई कानून नहीं देता है । अगर हमारा देश, भारतवर्ष, स्वतंत्र हुआ है और हम लोगों को मौलिक अधिकार दिये गये हैं, तो उस के मानी ये नहीं हैं कि हम अपने देश की संस्कृति और सभ्यता को खो बैठें और जब भी जो चाहें, सो बकें, लोगों को गालियां दें, लोगों

का अपमान करें और बेहूदा बातें पब्लिक में उछालें । प्रश्न यह है कि अगर हमारा देश स्वतंत्र हुआ है, तो इस के पहले हमारा जो कुछ भी स्टैंडर्ड रहा है, क्या हमें वही स्टैंडर्ड रखना है या उस को ऐसी ऊंचाई पर ले जाना है कि विश्व के दूसरे राष्ट्र हमारे स्टैंडर्ड की प्रशंसा करें । हमारे देश भारतवर्ष का पुराना इतिहास इतना बड़ा रहा है कि लोग इस की तरफ रुख करते थे, इस की तरफ देखते थे कि इस के स्टैंडर्ड की नकल करें और इस स्टैंडर्ड तक पहुंचें । यहां की संस्कृति और यहां की सभ्यता को यह मान्यता सारे विश्व में मिली थी । प्रश्न यह है कि क्या हम इस पर पहुंचें, या यह कि जैसा हमारे सोशलिस्ट सदस्य ने कहा कि हमें पूरी आजादी होनी चाहिये, जो कुछ भी चाहें वह कहते सुनते रहें । मुझे इस बात के लिये माननीय सदस्य क्षमा करेंगे यदि मैं कहूँ कि स्वतंत्रता प्राप्त होने पर यहां पर बहुत सी राजनैतिक पार्टियां बनीं, लेकिन सोशलिस्ट पार्टी के लिये यह भी कहा जाता है कि वह नीचे स्तर की बातें, गन्दी बातें उछालने में बड़ ताकत हैं । मैं समझता हूँ कि इसी मनोवृत्ति के अनुसार जो यह बिल यहां लाया गया है उस का उन्होंने विरोध किया क्योंकि शायद वे यह समझते हैं कि जिस मनोवृत्ति से और जो वाक्य सोशलिस्ट पार्टी अक्सर निकालने की आदी है, उस के विरुद्ध थोड़ी सी सख्ती आती है, अगर इस कानून के चंगुल में वे फंसे हैं । लेकिन मैं समझता हूँ कि ऐसे मामलात में हमारा राष्ट्र अगर सख्त कदम उठाता है तो उस के माने यह नहीं है कि हम किसी की स्वतन्त्रता पर या मौलिक अधिकार पर कोई कुठाराघात करते हैं या इस पर कोई बन्धन लगाते हैं । यह चीज तो बहुत साफ है कि अगर अपराध है तो है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं । अगर आप ने अपराध किया है, अगर आप ने स्टैंडर्ड को नीचे गिराया है, अगर यहां की सभ्यता और संस्कृति के स्टैंडर्ड को आप ने गिराया है तो आप उस दंड के भागी हो जाते हैं, सख्त सजा के भागी हो जाते हैं । अगर आप ने कोई अपराध नहीं किया, तब तो कोई सजा की

[श्री कु० कृ० वर्मा]

बात ही नहीं आती है, लेकिन अगर वाकई आप ने अपराध किया है और हमारे राष्ट्र की मर्यादा को आप ने गिराया है तो फिर अगर आप को सजा मिलती है तो वह ठीक है। आप को वह चीज बुरी नहीं लगनी चाहिये। मैं समझता हूँ कि इस में हमारे माननीय सोशलिस्ट सदस्य को कोई ऐतराज नहीं होना चाहिये।

यह जरूर है कि इस में दो एक शब्द ऐसे आये हैं जिन के लिये एक्स्प्लेनेशन होना चाहिये था कि उन के माने क्या हैं। मैं सरकार से इस बात के लिये कहूँगा कि अगर वह किसी कारण जिस रूप में बिल आया है उस को मानने के लिये तैयार नहीं हैं, तो वह अपनी तरफ से इसी आशय का एक दूसरा बिल ले आये ताकि हमारे देश की मर्यादा कायम रहे और उस में कोई कमी न होने पाये।

श्री श्रीकांतलाल बरवा (कोटा) : सभा-पति महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ। जैसा यह बिल आया है वह ठीक है। लेकिन इस बिल के लाने से कहीं ऐसा न हो जाय जैसे कि डिफेंस आफ इंडिया बिल आया था और रूलिंग पार्टी ने उससे विरोधी पार्टियों को ही कुचला। अभी हमारे माननीय सदस्य कह रहे थे कि विरोधी दल का एक भी सदस्य यहाँ बैठा हुआ है। कोई ऐसा कानून तो नहीं बनाया गया कि कोई न कोई यहाँ बैठा रहे, लेकिन क्या उन की आँखों पर पर्दा पड़ गया कि उन्हें कोई नहीं वहाँ पर दिखाई दिया? जनसंघ का एक आदमी ही बहुत होता है। हीरा एक ही होता है पत्थर चाहे कितने ही पड़े हों। उस समय मैं अकेला था। लेकिन चूँकि मैं जनसंघ का था इसलिये उनको नहीं दिखाई दिया। ठीक है, लेकिन मैं इन बातों में अधिक नहीं जाऊँगा।

इस बिल को पढ़ने से यह मालूम होता है कि इस बिल के अन्दर गाली की व्याख्या

कहीं नहीं लिखी है कि गाली किसे कहते हैं। क्या गाली इसे कहते हैं कि हम प्रधान मन्त्री की अवहेलना करें या किसी मन्त्री के भ्रष्टाचार को बतलायें। क्या गाली इसे कहते हैं कि हम रूलिंग पार्टी के भ्रष्टाचार को जाहिर करें? इसमें पेपर की कोई गलती नहीं है। पेपर वाले तो जैसा लोग कहेंगे, जैसा लोग बोलेंगे या जैसा दुनिया में होगा उसकी न्यूज उसके पास पहुँचेगी उसे वह अखबार में देंगे। इसमें अखबार वाले की कोई गलती नहीं है। गलती उन की है जो आग होकर भ्रष्टाचार करते हैं। उनको इसका डर क्यों है कि यह बिल लाया जा रहा है। यह बिल विरोधियों को दबाने के लिये लाया गया है क्योंकि हम क्रिटिसिज्म करते हैं और हमारी जवान पर ताला लगाया जायेगा। हम ज्यादा क्रिटिसिज्म नहीं कर सकेंगे, लेकिन चोर की दाढ़ी में तिनका नहीं होना चाहिये क्योंकि हम इससे डरेंगे नहीं। आप कोई भी बिल लायें, जो भ्रष्टाचार करेगा हम उसका क्रिटिसिज्म करेंगे। भ्रष्टाचार करने वाले का क्रिटिसिज्म होता है, जो नहीं करता है उसके लिये कुछ भी नहीं होता। आप अगर शुद्ध हैं तो कोई बात नहीं है, क्रिटिसिज्म होगा ही नहीं। इसलिये इस बिल के लाने से मझे ऐसा प्रतीत होता है कि जो भाषण करने वाले लोग हैं अगर वे भाषण देंगे तो उनको पकड़ कर बन्द कर दिया जायेगा। इसमें गाली की व्याख्या कोई नहीं है, कोई सीमा नहीं है कि गाली कैसी होनी चाहिये तो मैं सहमत हूँ कि इस बिल को लाना चाहिये, लेकिन जो अधूरा बिल है उसे न ला कर अगर पूरा बिल लाया जाय तो ज्यादा अच्छा होगा। उसमें गाली की व्याख्या कर दी जाये और पेपर वालों को बतलाया जाये कि इस को गाली कहते हैं। इस बिल को लाना जरूरी है, लेकिन मैं तो यह समझता हूँ कि इस बिल को अब लाया भी नहीं जायेगा, उनकी हिम्मत नहीं है कि इसे पास करवा दें। वल्कि अभी इसे वापस ले लिया जायेगा। इसलिये इस पर ज्यादा कहना बेकार है।

मैं तो कहूंगा कि इस बिल को वापस ले लें और दूसरा बिल इसकी सपोर्ट के साथ लायें जिसमें गाली की व्याख्या हो। इसमें पेपर वालों का कोई कसूर नहीं है। आपको इन बातों से नहीं डरना चाहिये। मामला साफ है और गाली से हम को डरना नहीं चाहिये।

श्रीमती लक्ष्मीबाई (विकाराबाद) : मैं इस बिल को सपोर्ट करने के वास्ते आई हूँ। अभी एक आनरेबल मेम्बर कह रहे थे कि यह बिल बहनों लाई है। इससे मालूम होता है कि बहनों को यह पसन्द है कि भाइयों के लिये सजा ज्यादा करवाई जाये। ऐसी बात नहीं है। हिन्दुस्तान की बहनें ऐसा नहीं चाहेंगी। जो बोलने वाले भाई हैं सिर्फ उनको ठीक तरह से बोलने का तरीका सिवाने के वास्ते हिन्दुस्तान की बहनें आगे आती हैं। यहां पर कहा गया है कि एक नारी ऐसा बिल लाई है। मैं इसका जवाब देना चाहती हूँ। हम हमेशा देखते हैं कि पेपर्स में, पिक्चर्स में, गाना बजाना, नाटक, तमाम के तमाम में ऐसी अश्लील बातें होती हैं, ऐसी कहानियां होती हैं जिनका बड़ा खराब प्रभाव पड़ता है। इसको रोकने के वास्ते यह बिल लाया है। उनमें बहनों के बारे में बुरी बुरी बातें होती हैं इस वास्ते बहनों को तकलीफ लगी, और उसको सुधारने के वास्ते इस बिल को उन्हें लाना पड़ा है। मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ श्रीमती लक्ष्मीकान्तम्मा को कि वे यह बिल लाई हैं।

इस बिल में बात यह है कि मेरी बहन ने छः महीने से बड़ा कर तीन साल तक की सजा करने का सुझाव दिया है। मैं कहना चाहती हूँ कि सजा बढ़ाने से अपोजीशन के भाइयों को डरने की क्या बात है? हम हिन्दुस्तान के रहने वाले हैं, यहां की संभ्यता हमें मालूम है, यहां की संस्कृति हमें मालूम है कि कैसे मिलना चाहिये, कैसे बात करनी चाहिये, कैसे सिनेमा हमें देखने चाहिये। यह जो भी बातें आजकल होनी हैं उसमें कोई स्कावट नहीं है। आजादी होने के बाद सब कुछ आजाद हो गया। लेकिन यह वाजिब नहीं है। हमारा कल्चर बतलाता

है कि हिन्दुस्तान में पुराने जमाने से, हजारों साल गुजर गये, पुरानी किताबें लोग पढ़ते हैं और खुश होते हैं और उस संस्कृति को बनाये रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या आज आजादी इसी में है कि किसी का मजाक उड़ाया जाय, जबान खोल कर बातें करें। यह बात जो होती है, उस को रोकने के वास्ते यह बिल लाया गया है। मैं दो भाइयों को देखती हूँ कि बहुत नाराज हैं। लोग आज नाराज क्यों होते हैं? इस में नाराजी होने की कोई बात नहीं है। आज तो आजादी है। लेकिन जो चोरी करेंगे वे पकड़े जायेंगे, जो बोलेंगे इस तरह से उन को सजा मिलेगी। अच्छे आदमियों को डरने की कोई बात नहीं है। छोटे छोटे बच्चों के, नन्हें नन्हें बच्चों के आगे इस तरह से बोलने से उनका दिमाग खराब होता है, और इस को रोकने के लिए यह बिल लाया गया है।

यत्र नायाः पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता :
जहां बहनों की इज्जत की जाती है वहां देवता खुश होत हैं। हम देखते हैं कि इलक्शनों में लोग अश्लील बातें करते हैं, उनको रोकने के लिए यह बिल बहुत जरूरी है और हमारे होम मिनिस्टर साहब इसमें उचित संशोधन करेंगे। अगर ऐसा न किया गया तो आजकल के नौजवानों के दिमाग में अच्छी संस्कृति नहीं आवेगी और उनके विगड़ने का अन्देश है। इसलिए इस विधेयक को लाना बहुत जरूरी था। मैं माननीय मंत्री महोदय को सुझाव दूंगी कि वह इसको कबूल करें।

श्री रामेश्वरानन्द (करनाल) :
अग्ने नय सुपथा राये अस्मान्, विश्वाति
वयानि विद्वान्,
भुयोध्यस्मत् जहराणमेनो, भू इष्टान्त नम;
उक्तिम् विधम्।

अध्यक्ष महोदया, मैं इस संबंध में कुछ कहना चाहता हूँ। यह अच्छा है कि इस प्रकार का विधेयक लाया गया जिससे जगह-जगह पर जो गान्दी तस्वीरें लगायी जाती हैं उन पर रोक लगे। यह बहुत अच्छा है। इस में यह भी

[श्री रामेश्वरानन्द]

है कि किसी को किसी के प्रति अपशब्द न बोलना चाहिये, यह भी बहुत अच्छी बात है। हमारे यहां शास्त्रों में कठोर भाषण करने को और अश्लील भाषण करने को बड़ा पाप कहा गया है। मैं मानता हूं कि इस पर प्रतिबन्ध होना चाहिए। परन्तु प्रतिबन्ध कहां हो अगर आप वास्तव में चाहते हैं कि लोगों की वाणी में सुधार हो तो यह शिक्षालयों में किया जा सकता है। वहां बच्चों को अच्छा बोलने की शिक्षा दी जा सकती है। उनको सिखाया जा सकता है कि वे मधुर भाषण करें। ऐसा किया जाए तो इस विधेयक का उद्देश्य पूरा हो सकता है। हां कोई राजनितिज्ञ किसी को कड़ी बात बोलते हैं :—

श्री शिव नारायण : स्कूलों में यह शिक्षा नहीं दी जाती . . .

श्री रामेश्वरानन्द : आपने पढ़ा नहीं है। उनको पता नहीं, वह अनपढ़ आदमी हैं। मेरा तो सारा जीवन पढ़ने पढ़ाने में गया है। मैं ने चारों वेद पढ़े हैं, दर्शन पढ़े हैं, ब्राह्मण पढ़े हैं। जो कुछ मैं ने पढ़ा है वह मैं उनको वर्षों तक पढ़ा सकता हूं।

तो मैं कह रहा था कि यदि शिक्षालयों में इसका यत्न किया जाए तो यह चीज बन सकती है।

आज हम देखते हैं कि स्थान स्थान पर गन्दे चित्र लगे हैं। परन्तु उनको लगवाने वाला कौन है, उस में किसका हाथ है। वह सब कुछ सरकार की तरफ से चलता है। सरकार चाहे तो इसे क्षण भर में बन्द कर सकती है। मैं देखता हूं कि जब सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं तो अर्धनग्न लड़कियां नाचती हैं, आप चित्रों की बात करते हैं। मैं ने तो पढ़े लिखों को क्लबों में नंगे नाचते देखा है। उनके लिये कोई प्रतिबन्ध

नहीं लगाया गया, अगर उन पर प्रतिबन्ध लगाया जाए तो बहुत अच्छा हो।

मैं मानता हूं कि अपशब्दों का प्रयोग किसी को नहीं करना चाहिए, इसकी किसी को भी छूट नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो सत्ता प्रोप्त पार्टी के सज्जन हैं व अपने भाषणों में दूसरों को गालियां देते रहते हैं। उन पर भी प्रतिबन्ध लगाना चाहिए। यह न हो कि उन पर तो प्रतिबन्ध न हो और दूसरों पर हो। मैं तो मानता हूं कि अपशब्द किसी को नहीं बोलना चाहिए। वदों में लिखा है :

16.24 hrs.

[MR. DEPUTY-SPEAKER in the Chair]

वाचते शुंघामि, प्राणन्ते शुंघामि,
चक्षुस्ते शुंघामि,
श्रोत्यस्ते शुंघामि, नाभिस्ते शुंघामि,
मंघन्ते शुंघामि, पायन्ते शुंघामि,
चरित्रस्ते शुंघामि।

सबसे पहले वाणी को शुद्ध करना चाहिये। वाणी के चार प्रकार के पास हैं :

अनुत्, परूष, सूचन, और असम्बद्ध।
जो वाणी के ये पास करते हैं उनके लिए मनु-स्मृति में लिखा है :

शरीर जै मर्म दोषै : याति स्यावर तान्तर :
वाचक जेइ मृग पक्षिताम्, मनोजै रन्ति
जातिताम्।

जो शरीर से या वाणी से खोटे काम करते हैं
उनको पशुपक्षी की योनियों में जाना पड़ता है।

मैं कहना चाहता हूं कि यदि सरकार इस विधेयक को स्वीकार करना चाहती है तो मैं इसका स्वागत करूंगा। इस प्रकार का प्रतिबन्ध होना चाहिये।

लेकिन हम आज बाजारों में क्या देखते हैं। स्त्रियां कपड़ा तो जरूर पहने हैं, कपड़े के लए उन्होंने पैसे भी खर्च किये हैं, लेकिन वे नग्न चलने की कोशिश करती हैं। कोई न देखना चाहे उनको तो उसे आकर्षित किया जाता है कि क्यों नहीं देखता हमारी तरफ। तो केवल चित्रों पर रोक लगा कर क्या कर लेंगे। तो मैं कहता हूं कि आप विधेयक को लाइए लेकिन इसमें सक्रियता होनी चाहिये। उसमें समानता होनी चाहिये।

श्रीर उपाध्यक्ष महोदया, मैं कहना चाहता हूं कि अनपढ़ स्त्री पुरुष इस प्रकार का आचरण नहीं करते। जो कुछ हो रहा है पढ़ी लिखी दुनिया में हो रहा है। जो एक अनपढ़ स्त्री घर में रहती है वह कभी सिर से कपड़ा नहीं उतारती। लेकिन पढ़ी लिखी देवियां इस प्रकार से आपके सामने आती हैं कि आप चित्रों में भी क्या देखेंगे। आप उनको साक्षात् चल कर देख सकते हैं। शरीर को पंच तत्व का विकार माना गया है। जो केवल इसको सजाने में लगा रहता है उसको असुर माना जाता है। आज की शिक्षा के कारण स्त्री पुरुष अधिकांश जो उस शिक्षा में दीक्षित हैं असुर बन चुके हैं। नहीं तो अनपढ़ लोग तो अपने सिर को ढके रहते हैं। पुरुष साफा सिर पर रखते हैं और स्त्रियां अपनी साड़ी सिर पर रखती हैं। लेकिन पढ़ी लिखी लड़कियां घुटनों से ऊपर के पकड़े पहनती हैं और पेट खुला रहे ऐसे वस्त्र पहनती हैं। मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता।

श्रीमती लक्ष्मीकान्तम्मा : मैं भी सन्यासी बनना चाहती हूं।

श्री रामेश्वरानन्द : पहले पढ़ो लिखो, वेद पढ़ो, शास्त्र पढ़ो। आप हिन्दी में बोलीं इसके लिए धन्यवाद देता हूं। लेकिन आप तो अंग्रेजी में बोलती हैं। और जब तक आप अंग्रेजी बोलती हैं तब तक चक्कर में पड़ी रहेंगी। सन्यासी बनना कोई सरल काम था। ही है।

Shri Hajarnavis: Mr. Deputy-Speaker, Sir, I am prepared to accept, on behalf of Government, a motion for circulation of the Bill to elicit public opinion. For one thing, I do not believe that it is only the function or the responsibility of the Government to come to the House for change in legislation. I believe that a great deal of initiative there has been in evidence so far should come from private Members. If private Members have not so far utilised the opportunities available to them, a considerable portion of the blame of course attaches to our attitude. But in the field of social reform in the field which impinges upon our literature, arts and upon other spheres of freedom of thought and freedom of expression, I believe, Government shall be grateful if our laws are continuously under the examination of the private Members and we receive from them suggestions which we can circulate for ascertaining what the public reaction is to the proposed amendments. I, therefore, invite hon. Members of the House to favour us, the House and the Government, with suggestions for amendments of law, especially that part of the law which, as I said, concerns itself with social reform and changing social values and again, as I said, where restrictions on freedom of thought or freedom of expression are sought to be either tightened or relaxed.

Coming to the subject of the Bill, at this stage, I do not think it is proper for me to express any opinion on the merits of the Bill. That would be pre-judging the issue. Since I am accepting the motion for circulation, I think it would not be quite correct for me to express any kind of preference as to one part of the Bill and also indicate my opposition to the other. But trying to ascertain the law, as it is now being administered, we find that the present Penal Code is being interpreted, is being based upon, what is called Hicklin test for determining whether the writing is obscene or not. That test was thus described by the great Chief Justice

[Shri Hajarnavis]

Cockburn and that test was followed for so long till a couple of years ago in England, in United Kingdom, and it is still being followed in our Code.

"A writing was said to be obscene when there is a tendency to deprave and corrupt those whose minds are open to such immoral influences and into whose hands the publication of this sort may fall."

This test has been approved by our own High Courts and was recently applied in the judgment of a High Court in a case, in a prosecution, which arose out of circulation of the famous novel by D. H. Lawrence *Lady Chatterley's Lover*. Just before our own prosecution, about the same time, the book was also a subject of prosecution in the United Kingdom. But the two laws were different. Ours was under the old law which is based upon Hicklin test, whereas the prosecution in England was under the Roy Jenkins Act. That arose out of an attempt made by a group of authors headed by Sir Allan Herbert, the famous private member, an independent member, who has added such valuable portions to the English statute book. Now, there they tried and found the test which was prescribed in Cockburn's judgment was a rigid test and required amplification. For instance, it was held in the case of a remarkable book, a book of very great literary merit, called *Well of Loneliness* where the author was defended by a very famous lawyer Mr. Norman Birkett who later on became a Lord Justice in England. The attempt of Mr. Norman Birkett was to lead the evidence to show that there may be passages which are obscene, but the book should be judged as a whole and it should be found out whether the dominant effect is that of literary merit; it may be, certain portions may appear to contravene *prima facie* certain standards of decency; it may be that obscene parts of the book may relate to investigation which may have been

undertaken in order to elucidate certain scientific principles. Now, that kind of defence, namely, that the book though apparently obscene, contravening our standards of normal decency, yet may be a book of literary merit and of scientific value, is a defence which Mr. Birkett intended to lead; but it was ruled by the magistrate that that defence was not proper and that the court was concerned only to see whether there were any obscene passages in it or not. And if it contained some obscene part, then the rest of the matter did not fall to be considered at all, and on that view, conviction followed. So, there was a great deal of discontent, and there was a considerable amount of activity on the part of the private Members, and as a result of the efforts of that journalist Member of Parliament, the famous journalist and Member of Parliament, Mr. Roy Jenkins, there has now been put on the English statute-book an amendment of the law which goes under the name of Obscene Publications Act. I am glad to find that portions of that Act are incorporated in the proposed Bill, so that when the question comes to be decided whether a particular article contravenes the penal provisions, it will be a defence open to the printer, publisher and author, that in spite of those portions which are dubbed as obscene, and which are objected to as obscene, if the effect of the whole book is taken, it is found to be a book having real literary merit, or, as I said, of scientific value. On these questions, as I said, we have an open mind, and we shall certainly like this Bill to be circulated.

Shri Ram Sewak Yadav thought as usual that I would oppose the Bill. For once, I hope he is not sorry that I have disappointed him.....

Shri Sham Lal Saraf (Jammu and Kashmir): He has agreed to the compromise.

Shri Hajarnavis: He apprehends that under the guise of this Bill freedom of expression is being stifled. Nothing is farther than that. One of the 'most priceless possessions which all of us possess, and which the Indian people possess is the right of freely expressing our opinion. Sometimes, we abuse this freedom, but that freedom must not be curtailed unless it is absolutely necessary. It does not matter whether I am on this side or my hon. friend Shri Ram Sewak Yadav is on this side...

Shri Ram Sewak Yadav: Sometimes, it may be this side also.

Shri Hajarnavis: Most certainly. Sometimes, when I hear his speeches which contain so many *gaalees* to us, —I feel if he is throwing *gaalees* to us—I sometimes wish that he were at the receiving end. I certainly look forward to the day when I shall exercise my right of freedom of expression in the House more freely than I do now. But there is nothing farther from our mind than what the hon. Member has suggested or hinted at. Therefore, if there is any attempt in this Bill to curtail that freedom, I, for one, would certainly resist it.

In matters of tests and in matters of propriety, I do not think that we can set any standards, we cannot regulate any conduct by making law. We must depend upon the sense of responsibility. Take our professions, for instance, the medical profession, the lawyers' profession or the advocates' profession, or the engineers' profession. Each one of these things has an association of its own, an autonomous and self-regulating association. And we try to impose certain standards and certain rules of conduct, and if anyone transgresses those rules or contravenes those rules, then we put him out of caste. If the press, which is alive to its responsibility, and which has a great heritage and great responsibilities were to constitute a kind of association for itself and evolve a code of conduct, then, I believe, that the freedom of

expression in this country is quite safe. I know that if I have to argue a case in a court, I cannot refer to a fact which is not on record, and which is not true, and the judge will come down with a heavy hand on me if I refer to something which is not on record and which I cannot substantiate. If I quoted a decision which had been overruled subsequently, and the Judge finds it out, he would certainly say that I am not acting up to the rules of conduct which my profession prescribes, I do not come up to the level expected of me, I am doing something improper.

Similarly, so far as the press is concerned, an autonomous self-regulated press alive to its own responsibility is the only method of dealing with abuses in which some people indulge. There will always be a black sheep or two. In spite of the best regulations, in spite of the most stringent provisions in the Indian Penal Code, there will always be infractions of law. There ought to be a Press Council. We shall not take away from a man that which is his most precious treasure, namely, his privacy and his reputation, unless it is absolutely necessary in the public interest. I think public life in this country will be very much purer and better by if we do this.

The Mover referred to the yellow press. It is true that Gresham's law applies to currency as well as to literature, that bad literature drives out the good. But just as in economics no one collects bad coins—he throws them away, he may use them for some time to his advantage, but he does not store them—similarly what remains even in literature is a work of everlasting quality, permanent quality, never of ephemeral value.

Therefore, I rely upon the good sense of the people; I rely entirely upon the sense of responsibility of our journalists; I rely entirely upon the rising educational level of this

[Shri Hajarnavis]

country to see that merely because you have a pen and there is a press to print, you will not take away from another what I said is his most valuable possession, the most valuable property, namely, his good name and his reputation, and you will not pry into his privacy more than is absolutely necessary to serve the public interests.

These are some of the thoughts which occurred to me on this. As I said, I will express no opinion on the merits of this.

श्री श्रीराम लाल बरवा : उपाध्यक्ष

महोदय, सदन में कोरम नहीं है ।

Mr. Deputy-Speaker: The bell is being rung—Now there is quorum. The hon. Minister may continue.

Shri Hajarnavis: As I said, I express no opinion. But if there is any defect pointed out in any provision of the Bill which has the effect of curtailing unduly freedom of speech or of the press, then I for one will certainly resist any such attempt made in the Bill. I, therefore move with your permission, and with the permission of the Mover, the following amendment:

“That the Bill be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 31st December 1963.”

Mr. Deputy-Speaker: The amendment is before the House. Does the hon. Mover accept the amendment?

Shrimati Lakshmikanthamma: Yes, I accept it. I would like to say a few words.

I am very glad that the hon. Minister has agreed to the circulation of the Bill for eliciting public opinion thereon by the 31st December.

I am also grateful to the hon. Members who have participated in this discussion. Except one Member, they have all spoken in favour of this Bill. I am particularly grateful to Shri D. C. Sharma who clarified the clauses of the Bill so beautifully.

Shri Yadav said: “कानून क्यों नहीं बनाते?” कानून तो पहले था। We are only introducing a clarification. He also said that this curtails liberty and is harmful to the working of democracy. But he will realise that certain curbs are necessary for the proper functioning of democracy. For instance, though the Zamindari and Jagirdari abolition measures and other land reforms introduced certain curbs, they were very necessary for the proper and healthy functioning of democracy.

Shri Sheo Narain gave strong support and came out as the champion of women's rights, while **Shri Himatsingka** said that either the person who is maligned or any one interested in him might be allowed to file a complaint. If the person affected is willing, it will be all right. If he is not willing, I do not know if it will be proper for somebody else to take up his case and go to a court of law.

Shri Himatsingka: He will go as a witness.

Shrimati Lakshmikanthamma: Shri Verma pointed out how delicate women feel when something wrong is written against them, and how it may lead to dangerous consequences, while **Shri Onkar Lal Berwa** feared that the powers might be misused. After all, if somebody writes something against Shri Berwa, he will be equally punishable. It is not as though people will write only against certain people.

I agree with Swamiji when he said that some bad things are going on, that girls are made to dance naked in certain opera houses etc. It may be proper or they may not find it wrong in western countries, but it is not in consonance with our traditions and culture, and these things should be

checked. But I do not agree with him when he says that educated women are not behaving properly.

Shri Sham Lal Saraf: He did not say all, he had a complaint only against some of them.

Shrimati Lakshmikanthamma: It is not due to education. Whether they are men or women, educated or uneducated, it is in the minds of the people. I may remind him that the greatest of Indian women, Gargi and Maitreyi, were highly educated and were the beacon lights for great Swamis also.

I express my thanks to the hon. Minister again for agreeing to the circulation of this Bill. It shows that Government has recognised the importance of bringing forth such a Bill and I once again thank him for that. I request the House to accept the motion that the Bill be sent for eliciting public opinion.

Mr. Deputy-Speaker: The question is:

"That the Bill be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 31st December, 1963."

The motion was adopted.

16.51 hrs.

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL

(Amendment of articles 136, 226, etc.)

Shri Shree Narayan Das (Darbhanga): Sir, I beg to move:

"That the Bill further to amend the Constitution of India be taken into consideration."

This Bill seeks to amend five or six articles of our Constitution. It is intended to exclude the jurisdiction of

the High Courts and Supreme Court in election disputes save as provided by or under any law made by the appropriate authority. In this regard, article 329. says:

"Notwithstanding anything in this Constitution (a) the validity of any law relating to the delimitation of constituencies or the allotment of seats to such constituencies, made or purporting to be made under article 327 or article 328, shall not be called in question in any court;

(b) no election to either House of Parliament or to the House or either House of the Legislature of a State shall be called in question except by an election petition presented to such authority and in such manner as may be provided for by or under any law made by the appropriate Legislature."

The whole scheme of this chapter of our Constitution was to make elections in India fair and free. It was for that purpose that an independent body like the Election Commission was created by the provisions contained in this Chapter. Because an elected assembly or House is a supreme body by itself the constitution and other matters relating to that body should be decided by that body itself. In many countries the provision is that if anything had to go before the court regarding elections, the court's jurisdiction could be exercised only to the extent to which powers are given by the Representation of the People Act. So, when the time came, before the first general elections, for this House to enact a law for the representation of the people in Parliament and State legislatures, the Act provided that no ordinary court could have jurisdiction with regard to election; it specifically stated in that Act that the decisions with regard to elections, of the Election Tribunal, constituted under article 329, would be conclusive and final. There shall be no appeal to any court, either high court or the Supreme Court, of the country. But after